# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**

**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।**

हरिओम धामाणी बनाम जितेन्द्र सैनी
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02 / 57 / 2023

17.04.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि विवादीत आराजी के खसरा नम्बर 403 रकबा 0.33 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर मे किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न करें न कोई निर्माण कार्य करें न कोई पेड की कटाई करे और वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्राकर का कोई रूकावट वो मजाहमत ना करें। मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।
साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069–2075 में यह आराजी मंदिर भूमि दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा ने विवादित आराजी का उप पंजीयक राजगढ के द्वारा दिनांक 20.10.1994 को खसरा संख्या 403 / 0.33 का पंजीयन करा रखा है। अतः अप्रार्थीगण विवादीत आराजी आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.05.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा **है कि विवादित आराजी के खसरा नम्बर 403 रकबा 0.33 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 30.05.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

30/5/23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। अप्रार्थीगण तलब होकर दि० 27/7/23 को पेश हो।

SDO

27/7/23 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। PO सा० चुनाव कार्यों में व्यस्त। वकील वादी ने तामील रसीद मय डिलेवरी रिपोर्ट पेश की। शा० मि० हो पत्रावली दि० 14/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
पुनश्च: इतना लिखने पर प्रति. 1 व 2 की ओर से एड. विश्वास मित्तल उप० वास्ते जवाब दि० 14/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

| तारीख हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | 28/10/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/11/24 को पेश हो।<br>रीडर<br><br>19/11/24<br>पत्रावली पेश। वकुलाय उप०। वास्ते बहस दिनांक 03/12/24 को पेश हो।<br>sd<br>SDO<br><br>03/12/24 पत्रावली पेश। वकुलाय उप० वास्ते बहस हेतु दि. 23/12/24 को पेश हो।<br>sd<br>SDO<br><br>23/12/24<br>पत्रावली पेश। वकुलाय उप० बहस सुनी गई। वादी गण आवेदन पत्र व बहस वकुलाय मूल वाद के निर्णय तक स्थगन लगाया जाय के आदेश दिनांक 17.04.2023 को ता फैसला दावा स्थायी किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूल वाद के साथ संलग्न हो।<br>sd<br>SDO<br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ | |